



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276028
CG-DL-E-07092026-276028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4732]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2026/भाद्र 14, 1948

No. 4732]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026/BHADRA 14, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4921(अ).— केन्द्रीय सरकार मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 85क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए नीचे दी गई सारणी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्र. सं.	कारावास की अवधि	शमन रकम (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(1.)	3 मास तक का कारावास	10,000
(2.)	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक का कारावास	20,000
(3.)	6 मास से अधिक किंतु 12 मास तक का कारावास	30,000
(4.)	1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष तक का कारावास	40,000
(5.)	2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक का कारावास	50,000
(6.)	3 वर्ष से अधिक किंतु 4 वर्ष तक का कारावास	60,000.

[फा. सं. के-14011/15/2020/एमआरटीएस-II]

प्रवीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(MRTS-II)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026.

S.O. 4921(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85A of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby notifies the amounts specified in column (3) of the table below for compounding the offences specified in column (2) of the said table, namely: -

Table

Sl. No.	Duration of imprisonment	Compounding Amount (in rupees)
(1)	(2)	(3)
(1.)	Imprisonment upto 3 months	10,000
(2.)	Imprisonment beyond 3 months to 6 months	20,000
(3.)	Imprisonment beyond 6 months to 12 months	30,000
(4.)	Imprisonment beyond 1 year to 2 years	40,000
(5.)	Imprisonment beyond 2 years to 3 years	50,000
(6.)	Imprisonment beyond 3 years to 4 years	60,000.

[F.No. K-14011/15/2020/MRTS-II]

PRAVEER KUMAR, Jt. Secy.